न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/71

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

चुन्नी लाल पुत्र श्री कंवर लाल जाति बोला निवीस मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. पैरोकार सरकार, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेज सिंह धाभाई, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 476 रकबा 3.82 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी की गैर खातेदारी में चली आ रही थी जिस पर वादी का वर्तमान में भी कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी ने उक्त आराजी की गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु कार्यवाही की गई तो वादी को कुल 3.82 हैक्टर आराजी में से 2.43 हैक्टर आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा शेष आराजी 1.39 हैक्टर पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये जबकि वादी उक्त आराजी पर भी काबज काश्त था और वर्षों से उक्त आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी । शेष आराजी 1.39 हैक्टर को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1846/476 की शेष भूमि 1.39 हैक्टर वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा जो कि पूर्व में खसरा नम्बर 476 में वादी की गैर खातेदारी में दर्ज थी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि वादी रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई थी । उक्त भूमि के सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 476 कायम किये गये और वादी रेस्पोडेन्ट के खाते में 3.82 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । जबकि 15 बीघा 04 बिस्वा का रकबा 2.43 हैक्टर ही होता है । इस प्रकार दौराने सेटलमेंट वादी का रकबा बिना किसी आधार के 1.39 हैक्टर बढा दिया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा 136 एल आर एक्ट का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया गया । जिसमें उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनिांक 16.11.2007 के द्वारा सेटलमेंट द्वारा बढाए गये 1.39 हैक्टर रकबे को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया उसके उपरान्त उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1109 से उक्त आराजी में रकबा 2.43 हैक्टर पर वादी रेस्पोडेन्ट को खातेदार दर्ज किया गया एवं 1.39 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी, नकल प्राप्त करने व अन्य राजकीय व्यवस्ताओं के कारण अपील प्रस्तुत करने में समय लगा है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट को 15 बीघा 04 बिस्वा आराजी आवंटित हुई है जिसका रकबा 2.43 हैक्टर होता है । सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट का रकबा 1.39 हैक्टर बढा दिया था । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा 136 एल आर एक्ट का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया गया । जिसमें उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनिांक 16.11.2007 के द्वारा सेटलमेंट द्वारा बढाए गये 1.39 हैक्टर रकबे को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया उसके उपरान्त उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1109 से उक्त आराजी में रकबा 2.43 हैक्टर पर वादी रेस्पोडेन्ट को

खातेदार दर्ज किया गया एवं 1.39 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया । वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया है । इन तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया गया है । इंतकाल संख्या 1109 में उपखण्ड अधिकारी, कोटा के निर्णय का हवाला दिया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटनशुदा है । बिना किसी आधार के आराजी को कम करके 1.39 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज की गई है । जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 09.09.2002 के अनुसार 3.82 हैक्टर आराजी के लिए आवंटन बहाल रखा गया है जो रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात पेश किये हैं जिसमें नामान्तरकरण संख्या 1097 की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 16.11.2007 के निर्णय की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 1109 की प्रमाणित प्रति और नामान्तरकरण संख्या 1179 की प्रमाणित प्रति हैं ।

12. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 09.09.2002 की प्रमाणित प्रति एवं जिला कलक्टर के न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का की रिपोर्ट और जवाब प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की हैं जो शमिल मिसल की गई ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2076 प्रदर्श– 1 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1846/476 रकबा 1.39 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 प्रदर्श– 2 के अनुसार वादी के खाते में खसरा नम्बर 476 की रकबा 3.82 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 3 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2061–64 है, प्रदर्श– 4 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2065 की प्रमाणित प्रति है ।

14. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि उनके खाते में खसरा नम्बर 476 की रकबा 3.82 हैक्टर आराजी दर्ज थी जिसमें से बिना किस आधार के 1.39 हैक्टर आराजी को सिवाय चक दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी

के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई । अपील में अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 16.11.2007 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है यह निर्णय धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत पारित किया गया है । निर्णय के अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी को साबिक खसरा नम्बर 194 की 15 बीघा 04 बिस्वा आराजी आवंटित हुई थी जो उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई । सेटलमेंट के द्वारा इसका नया नम्बर 476 कायम कर रकबा 3.82 हैक्टर दर्ज कर दिया गया है । इस आदेश के अनुसार रकबा 1.39 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं । उक्त आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1109 खोला गया है । जिसमें उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश की अनुपालना में खसरा नम्बर 1846/476 की 1.39 हैक्टर आराजी सिवायचक दर्ज की गई है । रेस्पोडेन्ट वादी ने इस तथ्य को छुपाकर दावा पेश किया है । वह अधीनस्थ न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आया है । सेटलमेंट विभाग द्वारा यदि उनके खाते की आराजी अधिक दर्ज की गई है तो धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी रकबा दुरूस्त करने के अधिकारी हैं ।

15. उपखण्ड अधिकारी, कोटा का निर्णय दिनाक 16.11.2007 विधि सम्मत है । इस निर्णय को किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेन्ट वादी ने पेश नहीं किया गया है । जहॉ तक जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 09.09.2002 का प्रश्न है इसमें आवंटन को बहाल रखा गया है परन्तु इसके उपरान्त सन् 2007 में धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत जो निर्णय पारित किया गया है उसके अनुसार रकबा कम किया गया है । जिला कलक्टर का निर्णय बाद में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय पर रेसजूडीकेटा का असर नहीं रखेगा क्योंकि जिला कलक्टर के द्वारा 14 (4) एल0 आर0 एक्ट के तहत निर्णय पारित किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा धारा 136 एल0आर0 एक्टर के तहत निर्णय पारित किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अपीलान्ट के खाते में सेटलमेंट विभाग के द्वारा जो अधिक रकबा दर्ज किया गया था उसको उपखण्ड अधिकारी, कोटा के द्वारा सन् 2007 में ही निर्णय पारित कर दुरूस्त कर दिया गया था जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 1109 खोला जाकर रकबा दुरूस्त किया गया है । वादी ने इन समस्त तथ्यों को छुपाकर वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1109 का हवाला है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि वादी रेस्पोडेन्ट को आवंटनशुदा आराजी कितनी थी और किस आधार पर गैर खातेदारी में दर्ज आराजी में से 1.39 हैक्टर आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित हुआ था । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 निरस्त किया जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/71

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा । ——अपीलार्थी

बनाम

चुन्नी लाल पुत्र श्री कंवर लाल जाति बोला निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ——प्रत्यथ

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 74/दावा/2016

चुन्नी लाल पुत्र श्री कंवर लाल जाति बोला निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा। ——

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. उप तहसीलदार, मण्डाना जिला कोटा । ——प्रति

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से पैरोकार सरकार एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेज सिंह धामाई उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 निरस्त किया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा